



UPSI180037182021

न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पैरसेन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), (उम्मीद न्यायिक सेवा) - UP03730

मूलवाद सं० Civil Suit/489/2021

Rajendra Vs. Maujilal

29-02-2024

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली तनकीह हेतु नियत है।

पक्षकारों को धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुलह-समझौता के लिए समझाया गया परन्तु पक्षकारों ने सुलह समझौता से इनकार किया। अतः उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं—

1. क्या वाद-पत्र में वर्णित वादीय सम्पत्ति का मालिक-काबिज व दाखिल वादी है? यदि हाँ, तो क्या वाद-पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का आधार पर्याप्त है?
2. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है ?
3. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अलावा न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही किसी पक्षकार द्वारा किसी अन्य वाद बिन्दु पर बल ही दिया गया।

आदेश

पत्रावली सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दु सं० 2 व 3 हेतु दिनांक-15.03.2024 को पेश हो। अग्रिम नियत तिथि तक उभय-पक्ष कमीशन आख्या पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

सिविल जज जू० डि०

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो